

# छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर

क्रमांक/4406/अभिलेख/2012

रायपुर दिनांक 08/06/12

—:आदेश:—

मण्डल की कार्यपालिका एवं वित्त समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 07-05-2012 विषय क्रमांक 4 में लिये गये निर्णय अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जन्मतिथि का संशोधन परीक्षा फल घोषित तिथि से 3 वर्ष तक नियमानुसार सुधार किये जावेगे। फोटो संशोधन पूर्ववत परीक्षाफल घोषणा तिथि से 03 वर्ष की समय सीमा में किये जायेगे। एवं नाम/पिता/माता का नाम/उपनाम/स्पेलिंग संबंधी त्रुटियों के संशोधन संबंधी प्रकरण परीक्षाफल घोषणा तिथि से 20 वर्ष की समय सीमा में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय के परिपालन में संबंधित कक्ष आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।



सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल


रायपुर

08/06/12  
रायपुर दिनांक

पृ0क0 /4406/अभिलेख/2012

प्रतिलिपि:-

- 1) सचिव स्कूल शिक्षा विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन मंत्रालय रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
- 2) निज सहायक मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन मंत्रालय रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
- 3) निज सचिव अध्यक्ष महोदय/सचिव महोदय छ0ग0मा0शि0 मण्डल रायपुर।
- 4) समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी छ0ग0मा0शि0 मण्डल रायपुर।
- 5) लेखाधिकारी छ0ग0मा0शि0 मण्डल रायपुर।
- 6) समस्त सहायक सचिव/कक्ष अधिकारी छ0ग0मा0शि0 मण्डल रायपुर।
- 7) समस्त प्राचार्य मान्यता प्राप्त संस्थाएँ छत्तीसगढ़।
- 8) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़।
- 9) संभागीय अधिकारी छ0ग0मा0शि0 मण्डल बिलासपुर/सरगुजा/जगदलपुर।
- 10) लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर छ0ग0।
- 11) समस्त परीक्षा डीलिंग सहायक छ0ग0मा0शि0 मण्डल रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल

रायपुर